राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 38/2024 अपील

1. पन्नालाल पुत्र पोखर गुर्जर निवासी लक्ष्मीपुरा, ईरास तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आसींद जिला भीलवाड़ा
2. उप पंजीयक, तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा
3. प्रधानाध्यापक जरिए राजकीय प्राथमिक विघालय लक्ष्मीपुरा, ईरास तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार आसींद द्वारा जारी नामान्तरण आदेश 452 दिनांक 17/09/2004

उपस्थित –

1. श्रीमती कौसर परवीन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.12.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा ईरास, तहसील आसीन्द, पटवार क्षेत्र ईरास, भू.अ.नि. क्षेत्र कालियास जिला भीलवाडा मे स्थित खसरा नम्बर 2585 क्षेत्रफल 0.3900 हेक्टेयर भूमि किस्म बंजड एवं खसरा नम्बर 2595 क्षेत्रफल 0.10 हेक्टेयर भूमि किस्त चाही–। जाव–। काबिल काश्त भूमि स्थित है। करीब पिछले 60 वर्षों से अपीलार्थी व उसके पुर्वज काश्त करते चले आ रहे हैं। समय–समय पर सरकार द्वारा धारा 91 की कार्यवाही भी की जाती रही है। संवत 2058 (सन 2001 से 2002) अपीलार्थी के कब्जे के आधार पर काश्तकार के नाम पन्ना पिता पोखर, काना गोपाल पुत्र रूपा गुर्जर निवासी–लक्ष्मीपुरा के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। पटवार हल्का ईरास ने मौका पर्चा दिनांक 07/03/2002 को गलत व अवैध नियमों के विरूद्ध जाकर मौका पर्चा बनाकर ग्राम पंचायत सरपंच के प्रस्ताव दिनांक 03/01/2002 के द्वारा उक्त जमीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा, ईरास मे खेल मैदान के लिए देने की अनुसंशा की, जिस पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण खोलकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लक्ष्मीपुरा को विद्यालय भवन हेतु आवेदनपत्र होने के बावजुद नामान्तरकरण खेल मैदान राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा, ईरास को भूमि दी गई है। विद्यालय भवन के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

लक्ष्मीपुरा के द्वारा आवेदनपत्र दिया गया, किन्तु नामान्तरकरण संख्या 452 दिनांक 17/09/2004 को खेल मैदान के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा के नाम खोला गया जो सरासर गलत व नियमों के विरूद्ध है। इस प्रकार आवेदनपत्र विद्यालय भवन के लिए था परन्तु बिलानाम जमीन खेल मैदान के लिए दे दी व नामान्तरकरण संख्या 452 खोल दिया जो काबिल खारिज योग्य है। जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 29.07.2024 को प्रमाणित प्रतिलिपि उक्त नामान्तरकरण की प्राप्त की और कानुनी राय ली तब जानकारी हुई कि इसकी भी अपील हो सकती है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण के खुलने से लेकर आज दिनांक तक अपील पेश करने का देरी का कारण जो है वह क्षमा करने योग्य हैं, अपीलार्थी अनपढ व ग्रामीण परिवेश का रहने वाला हैं उसे कानुन की जानकारी नहीं है। इसलिए दफा 05 कानुनी मियाद का प्रार्थनापत्र अलग से पेश हैं। जिससे भी उक्त देरी का कारण क्षमा होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 452 दिनांक 17/09/2004 जो विधि विरूद्ध व नियमों के विरूद्ध होने से खारिज फरमावें।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा ईरास, तहसील आसीन्द, पटवार क्षेत्र ईरास, भू.अ.नि. क्षेत्र कालियास जिला भीलवाडा मे स्थित खसरा नम्बर 2585 क्षेत्रफल 0.3900 हेक्टेयर भूमि किस्म बंजड एवं खसरा नम्बर 2595 क्षेत्रफल 0.10 हेक्टेयर भूमि किस्त चाही–। जाव–। काबिल काश्त भूमि स्थित है। करीब पिछले 60 वर्षों से अपीलार्थी व उसके पुर्वज काश्त करते चले आ रहे हैं। समय–समय पर सरकार द्वारा धारा 91 की कार्यवाही भी की जाती रही है। पटवार हल्का ईरास ने मौका पर्चा दिनांक 07/03/2002 को गलत व अवैध नियमों के विरूद्ध जाकर मौका पर्चा बनाकर ग्राम पंचायत सरपंच के प्रस्ताव दिनांक 03/01/2002 के द्वारा उक्त जमीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा, ईरास मे खेल मैदान के लिए देने की अनुसंशा की, जिस पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण खोलकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लक्ष्मीपुरा को विद्यालय भवन हेतु आवेदनपत्र होने के बावजुद नामान्तरकरण खेल मैदान राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा, ईरास को भूमि दी गई है। विद्यालय भवन के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा के द्वारा आवेदनपत्र दिया गया, किन्तु नामान्तरकरण संख्या 452 दिनांक 17/09/2004 को खेल मैदान के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा के नाम खोला गया जो सरासर गलत व नियमों

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के विरूद्ध है। अतः प्रार्थना है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 452 दिनांक 17/09/2004 जो विधि विरूद्ध व नियमों के विरूद्ध होने से खारिज फरमावें।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण खैल मैदान आवंटन आदेश श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश कमांक एफ 12–3 (अ)(63)/आर.ए./02 दिनांक 22.07.2004 के अनुसार एवं तहसीलदार आसीन्द के कमांक/राजस्व/2004/844–45 दिनांक 28.07.2004 की पालना में पारित किया गया हैं जो सही हैं। अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण राजकीय संस्था स्कूल के खेल मैदान हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन आदेश श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश कमांक एफ 12–3 (अ)(63)/आर.ए./02 दिनांक 22.07.2004 के अनुसार एवं तहसीलदार आसीन्द के कमांक/राजस्व/2004/844–45 दिनांक 28.07.2004 की पालना में पारित किया गया हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि इंगित नही होती हैं।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.12.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा